

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2576 / 2024

दिनांक : 07.08.2024

श्री मयंक पालीवाल (RJ00871), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) को दिनांक 29.06.2024 से 01.07.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री पालीवाल की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक 07.08.2024

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/40/2015/ 239

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 4031 दिनांक 08.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री मयंक पालीवाल (RJ00871), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।

सहायक रजिस्ट्रार